सं०सं० 9/आ0 4 27/2013
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

जिला पदाधिकारी, खगडिया के पत्रांक 449(गो0) दिनांक 22.2.13 द्वारा डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद साहु, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलदौर, खगडिया सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काढागोला कटिहार के विरूद्ध महालेखाकार की औडिट टीम द्वारा जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में 1,29,18,000/– की राशि चेक के बदले नगद भुगतान करने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के आरोप में 'प्रपत्र–क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

विभागीय पत्रांक– 1204 दिनांक–12.09.2013 के द्वारा डॉ0 साहु से स्पष्टीकरण की मॉग की गई। डॉ0 साहु ने अपने स्पष्टीकरण मे उल्लेख किया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक– एस0एच0एस0बी0/एम0सी0एच/04/07/594/2 दि0–22.02.2008 के आलोक मे चेक से भुगतान करने का आदेश था परन्तु चेक अनुपलब्ध रहने के कारण राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक– एस0 एच0 एस0 बी0/एम0 सी0 एच /04/07/6245 दि0–16.05.2008 एवं सिविल सर्जन, खगडिया के पत्रांक– 1298 दिनांक–29.05.2018 के आलोक मे जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का भुगतान पूर्व की भांति करने का आदेश दिया गया। आदेशोपरान्त दिनांक 30.08. 2008 से 30.06.2009 तक योजना की राशि लाभुकों को नगद भुगतान की गई।

डॉ0 साहु से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–714(9) ,दिनांक– 20.07.2016 के द्वारा जिलाधिकारी, खगडिया एवं विभागीय प्रत्रांक– 286(9) ,दिनांक– 26.03.2018 के द्वारा कार्यापालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना की मॉग की गई। कार्यापालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना डॉ0 साहु के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने योग्य होने का मंतव्य दिया गया।

सम्यक् समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद साहु को आरोप मुक्त करते हुए इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 582(9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 3/6/2019

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले एवं ह०) बिहार पटना/उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां/मुंगेर प्रमण्डल मुंगेर/सिविल सर्जन कटिहार/खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद साहु, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलदौर, खगडिया सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काढागोला कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10,17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

28/05/19

सरकार के अवर सचिव

D:\All Letter 2017 SWETA\Order.docx